प्र.सं. 55 / 2021 श्रीमती कजोड़ीबाई बनाम मोहनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मनवाखेड़ा में आराजी नंबर 856, 857, 859, 861, 852, 858, 860 कुल किता 7 रकबा 0.3850 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी का खरीद से 1 / 2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1 / 4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1 / 4 हिस्सा होकर पक्षकारान इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से भूमि के विकास में असुविधा होता है। अतः वाद वर्णित आराजियात का उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.07.2021 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22.07.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री भरतसिंह राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 नगर विकास प्रन्यास की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित समस्त भूमि कृशि योग्य नहीं रही है एवं आस–पास आबादी क्षेत्र हो जाने से अपीलान्टगण एवं प्रत्यथी संख्या 2 से 4 के मकान बने हुए हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 अजनवी केता होने से विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 को बिना सुने एवं बिना [illegible] पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये मृत व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री जारी कर दी	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:51 IST
Reason: SelfAttested

त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की तथा विकल्प में यह भी बताया कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदे ा के प्रका ा में अपीलान्ट को पक्षकार बनाते हुए नई प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के आदे ा अधिनस्थ न्यायालय को अपील में दिये जाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 04.11.2020 से दिनांक 16.06.2021 तक कुल 10 पे ि ायों में सिर्फ न्यायालय की छाप ही लगती रही है एवं आगामी तारीख पे ाी दिनांक 15.07.2021 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी है, जिससे स्पश्ट है कि पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 132/2020 निर्णय दिनांक 15.07.2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. I. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:51 IST
Reason: Certified

(एम. आई. चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर